संख्या-121/2019/1034/22-2-2018-17(225)/2018

प्रेषक,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2 ***लखनऊ: दिनांक 22 अक्टूबर, 2019***

विषय:- केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बन्दी खमानी पुत्र श्री जयराम सैनी, निवासी-जिला-अमरोहा की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-21771/प्रोबे0-5-द0या0(बैठक-15.05.2018) दिनांक 14.06. 2018 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- आपके उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार बन्दी खमानी पुत्र श्री जयराम सैनी, निवासी-ग्राम-फूलपूर अदलपुरा (भौपुर तैय्या) थाना-अमरोहा देहात जिला-अमरोहा का रहने वाला है। बन्दी द्वारा अवैध सम्बन्धों को लेकर दिनांक 12.01.2006 को गला दबाकर मारकर 01 महिला की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-354/2006 धारा 302 आई0पी0सी0 के अन्तर्गत मा0 अपर सत्र न्यायाधीश स्पेशल जज (एस0सी0/एस0टी0एक्ट) जे0पी0 नगर अमरोहा के आदेश दिनांक 30.03.2016 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है। बन्दी द्वारा दिनांक 24.07.2017 तक 02 वर्ष 02 माह 19 दिन की अपरिहार सजा तथा 02 वर्ष 07 माह 27 दिन की सपरिहार सजा भोगी गयी है। जिला मजिस्ट्रेट द्वारा बंदी के भविष्य में पुन: अपराध करने की सम्भावना से इन्कार नहीं होने की आख्या अंकित करते हुए समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति नहीं की गयी है। पुलिस अधीक्षक ने अपनी आख्या में अंकित किया है कि मृतका बंदी के भाई की पत्नी थी, बंदी द्वारा रिश्ते की परवाह नहीं की गयी। बंदी की रिहाई से गांव में शांति भंग होने की सम्भावना के आधार पर रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है। दयायाचिका समिति द्वारा बन्दी की काटी गयी सजा एवं जिला मजिस्ट्रेट/ पुलिस अधीक्षक द्वारा समयपूर्व मुक्ति की संस्तुति न किये जाने के दृष्टिगत सम्यक् विचारोपरान्त समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि बन्दी खमानी (बंदी संख्या-16811) पुत्र श्री जयराम सैनी, निवासी जनपद-अमरोहा की संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा **अस्वीकार** कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,

सूर्य प्रकाश सिंह सेंगर
संयुक्त सचिव।

संख्या-121/2019/1034/(1)/22-2-2018 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा ।
2- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा ।
3- निजी सचिव, मा0 राज्यमंत्री, कारागार विभाग, उ0प्र0 को मा0 मंत्री जी के सूचनार्थ ।
4- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

डा0 गिरीश चन्द्र खरे
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in